इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 102]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 मार्च 2025—चैत्र 7, शक 1947

परिवहन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2025

क्र. TRP-3-0001-2025-Sec-1-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 68 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 22-18-2017-आठ, दिनांक 29 जून 2018 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा संपूर्ण राज्य में उक्त धारा की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शिक्तयों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों से मिलकर बनने वाले राज्य परिवहन प्राधिकार का, तत्काल प्रभाव से पुनर्गठन करती है, अर्थात् :—

अधिकारी

 अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग. अध्यक्ष

2. परिवहन आयुक्त

सदस्य

No.TRP-3-0001-2025-Sec-1-VIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 68 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and in supersession of this department's Notification No. F 22-18-2017-VIII, dated 29th June 2018, the State Government, hereby, reconstitutes with immediate effect, the State Transport Authority consisting of the following officials to exercise and discharge the powers and functions specified in sub-section (3) of the said section throughout the State, namely:—

OFFICIALS

Additional Chief Secretary / Principal Secretary /

Chairman

Secretary, Government of Madhya Pradesh

Transport Department.

Member

2. Transport Commissioner

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष सिंह, सचिव.

203